लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल– 462023

क्रमांक/UCR/C/253 A/ 28 दिनांक 11-1-2023

माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों हेतु शाला विकल्प चयन संबंधी सूचना

माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29.9.2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही हैं, इस सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा/जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं, उन्हें शाला के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

2. चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे 13 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक शाला के विकल्प का चयन कर लें। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प अथवा किसी विषय में 50 से कम रिक्तियॉं होने पर समस्त रिक्तियों का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक शालाओं का चयन करें। समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित द्वारा चयनित शालाएं सॉफटवेअर के माध्यम से आवंटित न हो पाने की स्थिति में उपलब्ध रिक्तियों में से विभागीय प्राथमिकता के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शाला आवंटन नियोक्तावार, प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा।

3. जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था, को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गये है। प्रमाणीकरण के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य/अमान्य की जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में भी विसंगति की जानकारी संज्ञान में आने पर अभ्यर्थिता अमान्य की जा सकेगी।

4. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाणपत्र बनवा लें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य/अमान्य की जाएगी।

5. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी/मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा।

6. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस इत्यादि न करें। ऐसा करना चयन प्रकिया को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की श्रेणी में माना जाएगा तथा इस आधार पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त भी की जा सकेगी। प्रकिया के संबंध में शिकायत/कठिनाई हो तो वे संबंधित संयुक्त संचालक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संयुक्त संचालक द्वारा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।

7. यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रकिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे trc.mponline.gov.in पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा/समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755–6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल trc.mponline.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

(मनीषा सेंतिया)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.